उ0प्र0 लोक सेवा आयोग

संख्या–67/5/ई–2/2019–20
प्रयागराज, दिनांक 25 फरवरी, 2020

विज्ञप्ति

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) (प्रारम्भिक) परीक्षा–2019 के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in के "Home Page" पर "Candidate Segment" में "Fill online details for Combined State/Upper Subordinate Services (Gen.Rect ./Spl. Rect.) (M) Exam.-2019" पर Click करके आवश्यक सूचनाएं ऑनलाइन फार्मेट पर भरनी होगी। ऑनलाइन फार्मेट भरने से पूर्व "SAMPLE SNAPSHOTS" के आधार पर पूरी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त ऑनलाइन फार्मेट भरें। सर्वप्रथम Registration no. & Basic Details (जन्म तिथि, लिंग, निवास, श्रेणी इत्यादि) दें। निर्देशों एवं प्रक्रिया का भली–भॉति अध्ययन करने के उपरान्त उसका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर पूर्ण संतुष्ट होकर "SAVE" कर लें । प्रदर्शित फॉर्मेट पर विकल्प प्रयागराज अथवा लखनऊ में से वांछित केन्द्र को सेलेक्ट (Select) करना होगा। सभी अभ्यर्थी प्रदर्शित फॉर्मेट पर विकल्प–प्रयागराज अथवा लखनऊ में से वांछित केन्द्र तथा एक वैकल्पिक विषय को सेलेक्ट (Select) करें। केन्द्र और वैकल्पिक विषय के विकल्प में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं है । अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त वांछित सूचनाएं (मुख्य परीक्षा हेतु एक वैकल्पिक विषय एवं परीक्षा केन्द्र के जिले का नाम) दिनांक 26 February 2020 के अपराह्न से दिनांक 06 March 2020 तक सही–सही एवं सावधानीपूर्वक भरना सुनिश्चित करें । तत्पश्चात् मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने हेतु "Click here to payment the required fee for Main Examination" को Click करें । इसके पश्चात् S.B.I. MOPS का पेज प्रदर्शित होगा, जिसमें भुगतान हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे:–

(I) S.B.I. MOPS के Portal से S.B.I. अथवा 55 अन्य बैंकों में से किसी एक बैंक का चयन करना होगा ।

(II) चयन किए गए बैंक के द्वारा Debit/Credit/Net Banking के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

(III) उपरोक्त बिन्दु– II की सुविधा न होने पर S.B.I. का ई–चालान मुद्रित करके नगद भुगतान द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है अथवा मोबाइल बैंकिंग द्वारा 'Buddy' के माध्यम से भी किया जा सकता है ।

2–सभी स्तरों पर आनलाइन सूचनाएं भरने के पश्चात् "SUBMIT" कर दें। आनलाइन "SUBMIT" किये गये फार्म सेट को मुद्रित कर लें। आनलाइन फार्म सेट "SUBMIT" करने के उपरान्त आयोग द्वारा निर्धारित समय में ही अभ्यर्थियों को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसके संशोधन हेतु केवल एक बार संशोधन (Edit) आयोग की वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in के "Home Page" पर प्रदर्शित विकल्प Click here to "Modify online details after Submission for Combined State/Upper Subordinate Services (Gen.Rect ./Spl. Rect.) (M) Exam.-2019" पर क्लिक करके कर सकते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया दिनांक 13 March 2020 तक सही–सही एवं सावधानीपूर्वक भरना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण–पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण–पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण–पत्र एवं भू.पू.सै. का प्रमाण–पत्र के प्रारूप की PDF File वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3–ऑनलाइन भरे गये फार्म सेट (आवेदन–पत्र) को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्नकों (प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपाधियों तथा अन्य सभी दावों से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियॉ) सहित एक लिफाफे में भरकर तथा उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता पर्ची (Address Slip) चस्पा कर दिनांक 20 March 2020 को 5:00 PM अपराह्न तक अथवा उसके पूर्व सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, (परीक्षा अनुभाग–3), 10–कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड नं.–211018 को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या–3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउन्टर (पूछ–ताछ काउन्टर) पर अवश्य उपलब्ध करा दें। उक्त अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

4–इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण–पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किये जायेंगे परन्तु उसके साथ निवास प्रमाण–पत्र आवश्यक है ।

25/2/2020
(अरविन्द कुमार मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) (मुख्य) परीक्षा–2019

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक अनुदेश

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) (मुख्य) परीक्षा–2019 के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश एवं सूचनाएं निम्नवत् हैं । वे आवेदन–पत्र भरते समय इन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखें:–

1. प्रश्नगत परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन आयोग के विज्ञापन संख्या–ए–2/ई–1/2019 द्वारा दिनांक 16.10.2019 को प्रकाशित कराया गया था ।
2. अधिमान्यता प्रपत्र, पदवार रिक्तियों का विवरण तथा शारीरिक मापदण्ड का विवरण साक्षात्कार हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को बाद में भेजा जाएगा ।
3. विज्ञापन में प्रकाशित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्रारम्भिक परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 13 नवम्बर, 2019 तक धारित करने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे ।
4. मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक वही होगा जो प्रारम्भिक परीक्षा में था ।
5. अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दावे की पुष्टि में सभी उपाधियों, प्रमाण पत्रों तथा अंक तालिकाओं (स्नातक/ परास्नातक की प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका) की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे की पुष्टि में उन्हें संलग्न नहीं किया जाता है तो उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।
6. अभ्यर्थियों ने प्रारम्भिक परीक्षा के आवेदन–पत्र में जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया है उसकी पुष्टि में मुख्य परीक्षा के आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप पर नवीनतम शासनादेशों के अनुसार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
7. मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 200/– एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/= कुल रु0 225/– तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 80/– एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– = कुल रु0 105/– निर्धारित है । क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थी शुल्क अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जमा करेंगे परन्तु विकलांग अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– ही जमा करेंगे ।
8. मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय होंगे । अभ्यर्थियों को वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई भी एक विषय चुनने हैं । वैकल्पिक विषय में दो प्रश्न–पत्र होंगे । प्रत्येक प्रश्न–पत्र अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय हेतु निर्धारित समय तीन घण्टे हैं । वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों हेतु अधिकतम अंक 200 है तथा अनिवार्य विषय के प्रश्न–पत्रों हेतु अधिकतम अंक उनके सम्मुख अंकित हैं:–

(अ) अनिवार्य विषय

विषय	अधिकतम अंक
1–सामान्य हिन्दी	150
2–निबन्ध	150
3–सामान्य अध्ययन (प्रथम प्रश्न पत्र)	200
4–सामान्य अध्ययन (द्वितीय प्रश्न पत्र)	200
5– सामान्य अध्ययन (तृतीय प्रश्न पत्र)	200
6–सामान्य अध्ययन (चतुर्थ प्रश्न पत्र)	200

(ब) वैकल्पिक विषय

विषय	कोड सं.	विषय	कोड सं.
कृषि	01	प्राणि विज्ञान	02
रसायन शास्त्र	04	भौतिक विज्ञान	05
गणित	06	भूगोल	08
अर्थशास्त्र	09	समाज शास्त्र	11
दर्शन शास्त्र	12	भू विज्ञान	13
मनोविज्ञान	14	वनस्पति विज्ञान	15
विधि	16	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान	17
सांख्यिकी	18	प्रबन्ध	20
राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	21	इतिहास	22
नृ विज्ञान	24	सिविल अभियांत्रिकी	25
यांत्रिक अभियांत्रिकी	26	विद्युत अभियांत्रिकी	27
अंग्रेजी साहित्य	29	उर्दू साहित्य	30
हिन्दी साहित्य	32	संस्कृत साहित्य	34
वाणिज्य एवं लेखांकन	35	लोक प्रशासन	36
चिकित्सा विज्ञान	38		

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने वैकल्पिक विषयों के नाम एवं कोड परम्परागत आवेदन–पत्र में निर्धारित स्थान पर सही ढंग से अंकित करें। बाद में इसमें कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

Sl. No.	Group name	Preference Name	Department Name	Essential Qualification	Preferential Qualification
1.	EXECUTIVE	डिप्टी कलेक्टर	नियुक्ति अनुभाग-3	स्नातक	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
2.	EXECUTIVE	कार्य अधिकारी	पंचायती राज अनुभाग-2	स्नातक	
3.	EXECUTIVE	सहायक आयुक्त, उद्योग	सूक्ष्म एवं मध्यम अनुभाग-1	स्नातक	1-व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या 2-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 3-राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
4.	EXECUTIVE	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	(पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1)	स्नातक, देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान।	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
5.	EXECUTIVE	खण्ड विकास अधिकारी	(ग्राम्य विकास अनुभाग-1)	स्नातक	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
6.	EXECUTIVE	सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी	श्रम अनुभाग-5	स्नातक	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।
7.	EXECUTIVE	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी	दिव्यांग जन सशक्तीकरण अनुभाग-1	स्नातक	(1)भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य या मानव विज्ञान या मनोविज्ञान और सहबद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा किसी संस्था से विभिन्न प्रकार के नि:शक्तता, पुनर्वासन के क्षेत्र में विशेषज्ञीय उपाधि/ डिप्लोमा। 1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।
8.	EXECUTIVE	उपनिबन्धक	निबन्धन विभाग	विधि स्नातक, देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान।	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।
9.	EXECUTIVE	सहायक श्रमायुक्त	श्रम अनुभाग-4	वाणिज्य/विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाज शास्त्र के साथ कला में स्नातक या उसके	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

				समकक्ष अन्य अर्हता।	
10.	EXECUTIVE	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	श्रम विभाग	अर्थशास्त्र/समाजशास्त्र/ वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि/श्रम सम्बन्ध /श्रम कल्याण/श्रम विधि/वाणिज्य/ समाजशास्त्र/समाजकार्य/समाज कल्याण/व्यापार प्रबन्धन /कार्मिक प्रबन्धन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि।	
11.	EXECUTIVE	अभिहीत अधिकारी	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग	1-रसायन विज्ञान में स्नात्कोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता, 2-खाध सुरक्षा अधि० के लिए विहित अर्हता में से कम से कम एक अर्हता- (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य/डेयरी/जैव/तेल प्रौद्योगिकी /कृषि/पशु-चिकित्सा/जैव-रसायन/सूक्ष्मजीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि/ औषधि में उपाधि, या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य समकक्ष अर्हता, विनिर्माण आयात/खाद्य पदार्थ के विक्रय में वित्तीय हित वाले व्यक्ति को, खाद्य सुरक्षा अधि० नियुक्त नहीं किया जाएगा।	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘‘बी’’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
12.	EXECUTIVE	विस्तार सेवा अधिकारी श्रेणी-2	खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग	विज्ञान स्नातक (बी0एस0सी0) या विज्ञान स्नातक (कृषि) की उपाधि के बाद राजकीय फल परिरक्षण एवं डिब्बा बन्दी संस्थान, लखनऊ से 15 मास का स्नात्कोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होटल प्रबन्धन और खान-पान व्यवस्था भोजन प्रबन्ध में तीन वर्षीय डिप्लोमा किया हो,या खाद्य प्रोद्यौगिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि (एम0एस0सी0) प्राप्त की हो या खाद्य प्रसंस्करण में विशेष प्रश्नपत्र विषय के साथ उद्यान में विज्ञान स्नातकोत्तर (एम0एस0सी0) उपाधि।	
13.	EXECUTIVE	नायब तहसीलदार	राजस्व परिषद	स्नातक	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘‘बी’’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
14.	EXECUTIVE	उपकारापाल	कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं	स्नातक, देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘‘बी’’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। (शारीरिक मापदण्ड भी निर्धारित है)
15.	EXECUTIVE	कर निर्धारण अधिकारी	नगर विकास अनुभाग-4	कामर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक (55 प्रतिशत)	
16.	EXECUTIVE	विपणन अधिकारी	मंडी परिषद्	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि अर्थशास्त्र/कृषि विपणन में स्नातकोत्तर अथवा ए.आई.सी.टी.ई- द्धारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.ए. (एग्रीबिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि
17.	EXECUTIVE	सचिव श्रेणी-2	मंडी परिषद्	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि अर्थशास्त्र/कृषि विपणन में स्नातकोत्तर अथवा ए.आई.सी.टी.ई. द्धारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.ए. (एग्रीबिजनेस मैनेजमेन्ट)अथवा समकक्ष उपाधि
18.	EXECUTIVE	विधि अधिकारी	मंडी परिषद्	विधि स्नातक के साथ बार काउन्सिल आफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त बार काउन्सिल में रजिस्टर्ड हो एवं बार काउन्सिल/बार एसोसियेशन द्धारा प्रदत्त पाच वर्ष की प्रैक्टिस का प्रमाण-पत्र हों।	
19.	AGRICULTURE	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह “ख”	(विकास शाखा) (कृषि अनुभाग-1)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘‘बी’’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
20.	HORTICULTURE	जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी-2 ग्रेड-1	उद्यान अनुभाग	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान/उद्यान विज्ञान में स्नातक(बी0एस0सी0(कृषि/ उद्यान) उपाधि	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उद्यान-कृषि/फल/शाकभाजी/ पुष्प विज्ञान में परास्नातक (कृषि) (एम0 एस0 सी0 कृषि) उपाधि। (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
21.	ACC. & AUD. OFF.	लेखा एंव सम्प्रेक्षाधिकारी	मंडी परिषद्	एक विषय के रूप में लेखा शास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक, किसी उत्तरदायित्व पूर्ण हैसियत में लेखा कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।	लेखा परीक्षा/लेखा में उच्च अर्हता के लिए अधिमान दिया जायेगा।
22.	L.O. (PWD/GEO.& MIN.)	विधि अधिकारी	लोक निर्माण अनुभाग-4	1-भारत में विधि द्धारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि। 2-संबधित विधिज्ञ परिषद या भारतीय विधिज्ञ परिषद द्धारा मान्यता प्राप्त सम्बद्ध विधिज्ञ संघ (बार एसोसिएसन) में पंजीकरण और विधिज्ञ परिषद/विधिज्ञ संघ द्धारा निर्गत/प्रमाणित 02 वर्षीय अनुभव प्रमाण-पत्र	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘‘बी’’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
23.	L.O. (PWD/GEO.&	विधि अधिकारी	भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग	1-भारत में विधि द्धारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि। 2-संबधित विधिज्ञ	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘‘बी’’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

	MIN.)			परिषद या भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सम्बद्ध विधिज्ञ संघ (बार एसोसिएशन) में पंजीकरण और विधिज्ञ परिषद/विधिज्ञ संघ द्वारा निर्गत/प्रमाणित 02 वर्षीय अनुभव प्रमाण-पत्र	
24.	SR.SUG. DISTT. OFF.	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	गन्ना एवं चीनी विभाग	कृषि विज्ञान में स्नात्कोत्तर उपाधि तथा कम्प्यूटर संचालन में सी0सी0सी0 प्रमाणपत्र	
25.	VET. WELFARE OFF.	पशुचिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी	नगर विकास अनुभाग-4	पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक (बी.वी.एससी.एण्ड.ए.एच.) अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
26.	F.S.O. (SPL. RECTT.)	खाध सुरक्षा अधिकारी	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग	मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्यप्रोद्योगिकी /डेयरी प्रौद्योगिकी /जैवप्रौद्योगिकी /तेलप्रौद्योगिकी /कृषि विज्ञान / पशु चिकित्सा विज्ञान/ जैवरसायन विज्ञान /सूक्ष्मजीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या औषधि में उपाधि। या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष/मान्यता प्राप्त अर्हता, परन्तु किसी व्यक्ति को जिसका विनिर्माण आयात या किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय में कोई वित्तीय हित हो, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

9. आवेदन–पत्र के साथ अधिमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी वांछित अभिलेख अवश्य प्रस्तुत करें ।
10. व्यक्तित्व परीक्षण 100 अंक का होगा ।
11. मुख्य परीक्षा प्रयागराज तथा लखनऊ नगरों में आयोजित होगी । अभ्यर्थियों को आवेदन–पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपना परीक्षा केन्द्र अंकित करना है । परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं है तथा इस संबंध में कोई प्रार्थना–पत्र/प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं है ।
12. अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता से संबंधित उपाधि, प्रमाण पत्रों, अंक–पत्रों, आरक्षण के दावे के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति एवं शुल्क के निमित्त ई–चालान–एस.बी.आई./पी.एन.बी. से ई–चालान जमा करने के प्रिंट आउट की प्रति के साथ 27.5 X 11.5 से.मी. साइज़ के दो लिफाफे जिन पर परीक्षा का नाम, अभ्यर्थी का नाम तथा पूरा पता अंकित हो, संलग्न करें । नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की स्वप्रमाणित फोटो जिस पर अभ्यर्थी के दिनांक सहित पठनीय पूरे हस्ताक्षर हो, फॉर्मेट के निर्दिष्ट स्थान पर चस्पा करना है ।
13. अभ्यर्थी प्रश्न–पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) या अंग्रेजी (रोमन लिपि) में दे सकते हैं। किन्तु किसी भी प्रश्न–पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त में से किसी एक ही लिपि में देना आवश्यक है, न कि अलग–अलग प्रश्नों के उत्तर अलग–अलग लिपि में। प्रश्न पत्र के किसी एक प्रश्न का उत्तर एक लिपि में तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरी लिपि में देने वाले अभ्यर्थी अंकों की कटौती के रूप में दण्डित होंगे ।
14. अभ्यर्थी सभी स्तम्भ ठीक–ठीक भरने के बाद घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर अवश्य करें अन्यथा उनका आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।